

प्रपत्र—6

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आज दि० 01.07.2010 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री रघुनाथ प्रसाद, वन दरोगा, कठपुड़िया अनुभाग अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा, राजस्व विभाग की ओर से श्री हरीश चन्द्र हरबोला राजस्व उप निरीक्षक, क्वैराली तहसील व जिला अल्मोड़ा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ललित मोहन, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा व श्री किशोर चन्द्र भट्ट अमीन व सतीश चन्द्र पंत अमीन, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया व दि० 20.10.2010 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री बी० निषाद, सहायक वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड नैनीताल, श्री आशुतोष जोशी, वन क्षेत्राधिकारी, सांख्यिकीय वन क्षेत्र रानीखेत, श्री मनोज तिवारी, वन रक्षक, सांख्यिकीय वन क्षेत्र रानीखेत, राजस्व विभाग की ओर से श्री हरीश चन्द्र हरबोला राजस्व उप निरीक्षक, क्वैराली तहसील व जिला अल्मोड़ा, प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ललित मोहन, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा व श्री किशोर चन्द्र भट्ट अमीन व सतीश चन्द्र पंत अमीन, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया, संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

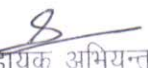
आरक्षित वन भूमि 1.350 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.172 है०, वन पंचायत भूमि 0.573 है०, एवं नाप भूमि 0.605 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की माँग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से 2 गाँव व 268 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वन भूमि में 208 वृक्षों व नाप भूमि पर शून्य वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....


अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा


अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया-बंगसर मोटर मार्ग निर्माण लम्बाई 3.00 कि०मी० ।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, अल्मोड़ा द्वारा प्रस्तावित कठपुड़िया-बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण ल० 3.00 कि०मी० के कार्य (गैर वानिकी कार्य) किये जाने हेतु वन भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, वन प्रभाग अल्मोड़ा के पत्रांक-5398/12-1(2), दिनांक 24 जून 2010 के क्रम में दि० 1/07/2010 से 2/07/2010 तक वन विभाग, राजस्व विभाग तथा प्रस्तावक विभाग के निम्न अधिकारियों / कर्मचारियों, द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया-

1. श्री रघुनाथ प्रसाद वन दरोगा, कठपुड़िया, अनुभाग, अल्मोड़ा वन क्षेत्र
2. श्री हरीश चन्द्र खत्री, पटवारी - क्वैराली
3. श्री जयलाल मोहन, अवर अभियन्ता, प्र० ख० लो० नि० वि० अल्मोड़ा
4. श्री स्तीश चन्द्र पन्त, प्रभूत, प्र० ख०, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा
5. श्री विश्वेश चन्द्र शर्मा, प्रभूत, प्र० ख०, लो० नि० वि०, अल्मोड़ा

(1) लो०नि०वि० द्वारा राज्य योजना में प्रस्तावित मोटर मार्ग की ल० 3.00 कि०मी० व चौ० 9 मी०, प्रस्तावित की गयी है, जो कि अल्मोड़ा वन प्रभाग के अल्मोड़ा रेंज के अन्तर्गत निम्न आरक्षित वन भूमि, फॉरेस्ट पंचायत, सिविल वन क्षेत्र एवं नाप भूमि में पड़ेगी, विवरण निम्न प्रकार है-

1-आरक्षित वन भूमि					
क्र० सं०	वन ब्लॉक व कक्ष सं०/सिविल एवं नाप भूमि	प्रस्तावित कार्य	अपेक्षित वन भूमि की ल०, (चौ० मीटर में)		
			लम्बाई	चौड़ाई	क्षेत्रफल
1	दाना आरक्षित वन कक्ष नं- 3, 2	मोटर मार्ग	1500	9	1.350 है०
	योग		1500	9	1.350 है०
2-वन पंचायत भूमि					
2.	ग्राम बंगसर व लोध पहाड़ से लगी वन पंचायत भूमि	मोटर मार्ग	637	9	0.573 है०
	योग		637	9	0.573 है०

3-सिविल एवं सोयम वन भूमि					
3.	ग्राम बंगसर व लोध पहाड़ से लगी सिविल बेनाप भूमि	मोटर मार्ग	191	9	0.172 है०
	योग		191	9	0.172 है०
4-नाप भूमि					
4.	ग्राम बंगसर व लोध पहाड़ की नाप भूमि।	मोटर मार्ग	672	9	0.605 है०
	योग		672	9	0.605 है०
	महायोग		3000	9	2.700 है०

(2) अतएव हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित आरक्षित एवं सिविल भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र०सं०	भूमि की श्रेणी	क्षेत्रफल(है० में)
1.	इना आरक्षित वन 2,2	1.350 है०
2.	ग्राम बंगसर व लोध पहाड़ से लगी वन पंचायत भूमि	0.573 है०
3.	ग्राम बंगसर व लोध पहाड़ से लगी सिविल बेनाप भूमि	0.172 है०
	कुल योग	2.095 है०

(3) इस प्रकार प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु कुल अपेक्षित 2.095 है० वन भूमि तथा नाप भूमि का भी निरीक्षण किया गया एवं भूमि में स्थित समस्त बाधक 2.08 वृक्षों की गणना कर वृक्षों पर पेंट से क्रमांक अंकित किये गये हैं। जिनकी सूची तैयार कर पृथक से संलग्न की जा रही है।

(4) प्रस्तावित संरेखण में वृक्ष सघन रूप से विद्यमान हैं। स्थल का घनत्व 0.2 से 0.4 के बीच है। प्रस्तावित स्थल की जी०पी०एस० रीडिंग निम्न प्रकार है।

Hight- 5111	Fitt	N 29° 39.128'	E 79° 34.369'
-------------	------	---------------	---------------

(5) अपेक्षित रिजर्व फॉरेस्ट भूमि- 1.350 है०, फॉरेस्ट पंचायत भूमि- 0.573 है० व सिविल बेनाप भूमि- 0.172 है० इस प्रकार कुल 2.095 है० वन भूमि के दुगने क्षेत्रफल 4.190 है० (अर्थात् 5000 है०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए इना में सिविल चयनित किया गया है, जिसकी प्रस्तावित स्थल से दूरी 30 कि०मी० है तथा चयनित क्षेत्र का घनत्व 0.2 से 0.4 है।

(6) क्षेत्र के ग्रामीणों को यातायात की सुविधा न हो पाने के कारण उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, किन्तु इस संबंध में आम सभा का प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग द्वारा

संबंधित से लिया जाना आवश्यक होगा। प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु उक्त अपेक्षित भूमि न्यूनतम है एवं प्रस्तावित सड़क निर्माण के संरेखण हेतु अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(7) चूंकि प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य हेतु वन भूमि की मांग की जा रही है, फलस्वरूप इस भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होंगे तथा स्थल पर किसी भी गैर वानिकी कार्य (Non-forestry-activities) के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति प्राप्त करनी आवश्यक है। अतः प्रस्तावक विभाग को निर्धारित फॉरमेट/प्रक्रिया के अनुरूप fca, 1980 के तहत प्रस्तावित निर्माण हेतु अपेक्षित 2.261 है० वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करना होगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा

(स्वनाथ उसाद)

वन वसगा

कठपुडिया - सुभाष

(हरीश चंड हरबोवा)

पटवारी - क्वेराली

(बालित मोहन)

भवन कनिष्ठा

जाय खा, लो०नि०वि० अल्मोड़ा

(सतीश चंड प-व)

फरीन

(विशाल चंड)

कमीन

पटवारी
कठपुडिया

9/10 क्वेराली

13/11/2020

सहायक अभियन्ता
बाराभण्डल, अल्मोड़ा

राजस्व निरीक्षक,
बाराभण्डल (अल्मोड़ा)

तहसील

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

पृष्ठ - 15 संलग्नक सं. 2.5.9.4
जनपद अल्मोड़ा में कठपुड़िया - बंगसर मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव तैयार किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट:-

आज दि० 20.10.10 को अधिशासी अभियंता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०- अल्मोड़ा के अधिनस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में वन वर्धनिक उत्तराखण्ड, नैनीताल के अन्तर्गत सांख्यिकीय वन क्षेत्र, रानीखेत के अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ सहायक वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में छाना ब्लाक कक्ष संख्या -2 में स्थापित बीज गाटा संख्या -53 का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के तथ्य निम्न प्रकार हैं। :-

- (अ) उक्त प्रस्तावित मार्ग बीज गाटा सं. -53 से होकर गुजर रहा है।
 (ब) बीज गाटा सं.-53 पाईनस पैटूला प्रजाति का है। जो वर्ष 1994 में स्थापित किया गया। तथा इसका क्षेत्रफल- 2.50 है० है।
 (स) मार्ग की लम्बाई (जो बीज गाटा संख्या - 53 से होकर जायेगा) 142 मीटर है, तथा चौड़ाई 7 मीटर है।
 (द) मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाले वृक्षों की कुल संख्या 44 है। जिसमें 16 चयनित वृक्ष तथा 28 वृक्ष पाईनस पैटूला प्रजाति के (जो चयनित वृक्ष नहीं हैं) हैं। दोनो प्रकार के वृक्षों का व्यास वर्ग का विवरण निम्न प्रकार है।

(1) चयनित वृक्षों का विवरण :-

क्रम सं	वृक्ष प्रजाति का नाम	चयनित वृक्ष का नम्बर	वृक्ष की गोलाई (D.B.H.) सेमी में	व्यास वर्ग
1	2	3	4	5
1	पाईनस पैटूला	63	92	2-3
2	-do-	64	86	2-3
3	-do-	60	78	2-3
4	-do-	57	90	2-3
5	-do-	56	72	2-3
6	-do-	73	67	2-3
7	-do-	74	90	2-3
8	-do-	77	70	2-3
9	-do-	78	70	2-3
10	-do-	81	90	2-3
11	-do-	43	60	1-2
12	-do-	42	90	2-3
13	-do-	41	68	2-3
14	-do-	40	75	2-3
15	-do-	39	78	2-3
16	-do-	38	60	1-2

अन्य वृक्ष जो चयनित नहीं हैं:-

1	2	3	4	5
17	पाईनस पैटूला	—	75	2-3
18	-do-	—	65	2-3

(कुमशः पृष्ठ सं. 2.5.9.4)

1	2	3	4	5
19	पाईनस मिट्टला	—	50	1-2
20	-do-	—	63	2-3
21	-do-	—	58	1-2
22	-do-	—	62	1-2
23	-do-	—	110	3-4
24	-do-	—	65	2-3
25	-do-	—	35	1-2
26	-do-	—	65	2-3
27	-do-	—	78	2-3
28	-do-	—	75	2-3
29	-do-	—	87	2-3
30	-do-	—	65	2-3
31	-do-	—	55	1-2
32	-do-	—	83	2-3
33	-do-	—	64	2-3
34	-do-	—	90	2-3
35	-do-	—	50	1-2
36	-do-	—	58	1-2
37	-do-	—	64	2-3
38	-do-	—	53	1-2
39	-do-	—	62	1-2
40	-do-	—	70	2-3
41	-do-	—	58	1-2
42	-do-	—	90	2-3
43	-do-	—	65	2-3
44	-do-	—	50	1-2

संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित अधिकारी एवम् कर्मचारी गण

- 20/10/2010

(बी० निषाद)
सहायक वन वर्धनिक
उत्तराखण्ड, नैनीताल
 - 20-10-2010

(ललित मोहन)
अवर अभियन्ता
प्रा०ख०लो०नि०वि० अल्मोड़ा
 - (आशुतोष जोशी)
वन क्षेत्राधिकारी
सांख्यकीय वन क्षेत्र, रानीखेत

अविशासी अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.
 - (सतीश चन्द्र पंत)
अमीन
प्रा०ख०लो०नि०वि० अल्मोड़ा
 - (मनोज तिवारी)
वन रक्षक
सांख्यकीय वन क्षेत्र, रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रांतीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा.
 - किशोर चन्द्र
अमीन
प्रा०ख०लो०नि०वि० अल्मोड़ा

प्रतिहस्ताक्षरित
जिला अधिकारी
बल्लोड़ा,
Sd/-
रामनाथ अधिकारी
बारामण्डल, अल्मोड़ा.
- पटवारी
कटपुडिया
9/10/2010
- राजस्व निरीक्षक,
बालवाण (अल्मोड़ा)
- तहसीलदार
अल्मोड़ा